भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 967 /उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2025–26, दिनांक 20 मई, 2025

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6415/उ0ख0(ईनि)–V/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2024–25, दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 6610/PAU_001/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2024–25, दिनांक 29.01.2025 के द्वारा जनपद पौडी गढवाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम उफल्डा पट्टी इडवालस्यूँ, अलकनन्दा नदी के खसरा नं0 1म0, कुल क्षेत्रफल 3.240 है0 मध्ये 1.50 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 40500 टन एवं आधार मूल्य रू0 28,35,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 22.02.2025 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 12.03.2025 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण संख्या 7764, दिनांक 27 मार्च, 2025 के द्वारा पुर्ननिविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा को निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। पुनः निविदा आमंत्रण संख्या 626/PAU_001/उ0ख0(ईनि)–V/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2024–25, दिनांक 01 मई, 2025 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 16.05.2025 (शुक्रवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी।

निदेशालय के पत्र संख्या 944/उ0ख0(ईनि)–V/भू0खनि0निदेशा0/2025–26, दिनांक 19 मई, 2025 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 16.05.2025 (शुक्रवार) के अनुसार जनपद पौडी गढवाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम उफल्डा पट्टी इडवालस्यूँ, अलकनन्दा नदी के खसरा नं0 1म0, कुल क्षेत्रफल 3.240 है0 मध्ये 1.50 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाता को सफल घोषित करते हुए उनकी वित्तीय निविदा खोलने की अनुमति प्रदान की गयीः–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	*2*	*3*
1	श्री दीपक पोखरियाल	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम 20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.05.2025 समय अपराह्न 4.45 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली (धनराशि रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 परिणाम (रू0 में)
1	*2*	*3*	*4*
1	श्री दीपक पोखरियाल	29,99,999.00	H1

उपरोक्तानुसार ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त

धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में एच–3 तक अपनाई जायेगी। एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री दीपक पोखरियाल पुत्र श्री धीरपाल सिंह, निवासी–ग्राम पोखरी, तहसील प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढवाल के H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 29,99,999.00 (रू0 उनतीस लाख निन्यानवें हजार नौ सौ निन्यानवें मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 7,50,000.00 (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम–25(1) में किये गये प्रावधानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 28,35,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 7,08,750.00 के सापेक्ष बैक ऑफ बडौदा द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 82740300003448, दिनांक 13.05.2025, रू0 7,08,750.00 (रू0 सात लाख आठ हजार सात सौ पचास मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 7,50,000.00–7,08,750.00= 41,250.00) रू0 41,250.00 (रू0 इकतालीस हजार दो सौ पचास मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः H1 बोलीदाता श्री दीपक पोखरियाल पुत्र श्री धीरपाल सिंह, निवासी–ग्राम पोखरी, तहसील प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढवाल को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू0 41,250.00 (रू0 इकतालीस हजार दो सौ पचास मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए जमा धनराशि का जब्त कर लिया जायेगा।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या967 /उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2025–26, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद पौडी गढवाल।
4. एच–1 बोलीदाता श्री दीपक पोखरियाल पुत्र श्री धीरपाल सिंह, निवासी–ग्राम पोखरी, तहसील प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढवाल।

(राजपाल लेघा)
निदेशक